"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020—श्रावण 2, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2020

क्रमांक 85/सी.एस.ई.आर.सी./2020.—विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (आर) एवं (एस) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यथा संशोधित विद्युत नियम, 2005 के प्रावधनों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2011, 30 मई 2012 को अधिसूचित किया गया था.

आयोग अनुभव करता है कि देय अपील राशि के एक तिहाई राशि को अपील के पूर्व जमा करने जैसे बाध्यकारी शर्त, जैसा कि उपरोक्त उपभोक्ता परिवेदना निवारण, विनियमों के खण्ड क्रमांक 55 में प्रावधित है, उपभोक्ताओं को न्याय के लिए लोकपाल के समक्ष जाने से हतोत्साहित करती है. यह व्यापक जनहित में तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की उद्देश्यिका में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप होगा कि उक्त खण्ड क्रमांक 55 को उपभोक्ता परिवेदना निवारण, विनियमों से विलोपित किया जावे. विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा आयोग को आदेशित किया गया है कि वह उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और पर्याप्त कारणों तथा तर्कसंगत होने के आधार पर आयोग का यह दृष्टिकोण है कि उपरोक्त प्रावधान को विलोपित करने हेतु विनियामक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है. अतः आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020

अध्याय–1
संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

1. इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011 कहा जायेगा.

2. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को, उनसे संबंधित अनुज्ञप्त क्षेत्र में लागू होंगे.

3. ये विनियम इनके मूल पाठ के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

परिभाषा :

4. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"मूल विनियमों" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2011.

अध्याय–2
संशोधन

5. मूल विनियमों का खण्ड 55 विलोपित किया जाता है.

No. 85/CSERC/2020.—In exercise of the powers vested in the Commission under the provisions of sub-section (5), (6) and (7) of Section 42 read with clauses (r) and (s) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (the Act), and in pursuance of the provisions of Electricity Rules, 2005, as amended, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission had notified the regulations namely Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011 on 04th March, 2011.

The Commission feels that such a condition acts like deposits an amount equal to one third of the amount due as appeal amount before filing of appeal, as provided in Clause No. 55 of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011, is disincentive for the consumers from approaching the Ombudsman for justice. This is in larger public interest and also in sync with the objective outlined in the preamble to the Electricity Act, 2003. As per Electricity Act, 2003 the Commission is mandated to protect the interests of the consumers and for the sufficient reasons and justifications, the Commission is of the view that for omission of the said provision, there is no need to go through the regulatory process. Hence, the Commission hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011, namely :—

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) (First Amendment) Regulations, 2020

CHAPTER-1
SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. These regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) (First Amendment) Regulations, 2020.

2. These regulations shall be applicable to all distribution licensees in Chhattisgarh in their respective licensed areas.

3. There shall come into force from the date of their publication in Chhattisgarh Rajpatra.

Definition

4. In these regulations, unless the context otherwise requires :

"Principal Regulations" means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011.

CHAPTER-2
AMENDMENT

5. Clause No. 55 of the principal Regulation is omitted.

आयोग के आदेशानुसार,

एस. पी. शुक्ला,
सचिव.